

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं० 21/2018 - केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 18 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. (अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा विहित है, उसके सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में--

(i) नियम 89 में, उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

“(5) विपरीत शुल्क ढांचा के मद्दे प्रतिदाय की दशा में, इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दिया जाएगा:--

अधिकतम प्रतिदाय की रकम = { (व्युत्क्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त) × शुद्ध आईटीसी ÷ समायोजित कुल आवर्त} - ऐसे व्युत्क्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय पर संदेय कर।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए,--

(क) “शुद्ध आईटीसी” पद से सुसंगत अवधि के दौरान, ऐसे उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय से भिन्न, जिसके लिए उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है, इनपुटों पर उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है; और

(ख) “समायोजित कुल आवर्त” पद का वही अर्थ होगा जो उपनियम (4) में उसका है।”;

(ii) नियम 97 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

“97. उपभोक्ता कल्याण निधि—(1) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 12ग की उपधारा (2), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 57, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 और माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 12 में विनिर्दिष्ट अन्य धनराशियों के साथ शुल्क/केंद्रीय कर/एकीकृत कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/उपकर और विनिधान से आय की पूरी रकम को इस निधि में जमा किया जाएगा :

परंतु एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन अवधारित एकीकृत कर की रकम के पचास प्रतिशत के बराबर रकम को निधि में जमा किया जाएगा।

(2) जहां उचित अधिकारी, अपील प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा, निधि में जमा की गई किसी रकम को, किसी दावाकर्ता को संदाय करने का आदेश या निदेश दिया जाता है, वहां उसका संदाय निधि से किया जाएगा।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित निधि के लेखे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षा के अध्वधीन होंगे।

(4) सरकार, आदेश द्वारा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव और उतने सदस्यों के साथ, जितने वह ठीक समझे, एक स्थायी समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘समिति’ कहा गया है) का गठन

करेगी और समिति, निधि में जमा की गई धनराशि का उपभोक्ताओं के कल्याण हेतु उचित उपयोग के लिए सिफारिशें करेगी ।

(5) (क) समिति की बैठक, जब कभी आवश्यक हो, साधारणतया किसी वर्ष में चार बार होगी ;

(ख) समिति की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी, जो समिति का अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, ठीक समझे ;

(ग) समिति की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा, या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा, की जाएगी ;

(घ) समिति की बैठक, प्रत्येक सदस्य को लिखित में कम से कम दस दिन की सूचना देने के पश्चात् बुलाई जाएगी ;

(ङ) समिति की बैठक की सूचना में, बैठक का स्थान, तारीख और समय विनिर्दिष्ट होगा और उसमें किए जाने वाले कामकाज का विवरण अंतर्विष्ट होगा ;

(च) समिति की कोई कार्यवाही तब तक विधिमान्य नहीं होगी, जब तक उसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा न की जाए और उसमें कम से कम तीन अन्य सदस्य उपस्थित न हो ।

(6) समिति को, --

(क) किसी आवेदक से, किसी ऐसे प्राधिकारी के पास, जो केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, रजिस्ट्रीकृत कराने हेतु अपेक्षा करने की शक्ति होगी ;

(ख) किसी आवेदक से ऐसी पुस्तिकाएं, लेखे, दस्तावेज, लिखतें या आवेदक की अभिरक्षा और नियंत्रण में की ऐसी वस्तुओं को, जो आवेदन के उचित मूल्यांकन के लिए आवश्यक हो, उसके समक्ष या यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष पेश करने हेतु अपेक्षा करने की शक्ति होगी ;

(ग) किसी आवेदक से, किसी ऐसे परिसर में, जहां से उपभोक्ताओं के कल्याण हेतु क्रियाकलापों के लिए जाने का दावा किया गया है, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रवेश और निरीक्षण अनुज्ञात करने हेतु अपेक्षा करने की शक्ति होगी ;

(घ) अनुदान का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों के लेखाओं की संपरीक्षा करने की शक्ति होगी ;

(ङ) किसी आवेदक से, उसकी ओर से की गई किसी चूक या किसी सारवान जानकारी के छिपाए जाने की दशा में, समिति को मंजूर अनुदान का, उस पर प्रोद्भूत ब्याज के साथ एक मुश्त प्रतिदाय करने हेतु अपेक्षा करने की और उसे अधिनियम के अधीन अभियोजित करने की शक्ति होगी ;

(च) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी आवेदक से शोध रकम वसूल करने की शक्ति होगी ;

(छ) किसी आवेदक या आवेदकों के किसी वर्ग से, अनुदान का उचित उपयोग उपदर्शित करते हुए, एक कालिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा करने की शक्ति होगी ;

(ज) सारवान् विशिष्टियों में तात्त्विक असंगतता या गलती होने के कारण उसके समक्ष प्रस्तुत आवेदन को नामंजूर करने की शक्ति होगी ;

(झ) किसी आवेदक को उसकी वित्तीय स्थिति और किए जाने वाले क्रियाकलाप की प्रकृति की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि उपलब्ध वित्तीय सहायता का दुरुपयोग नहीं होगा, अनुदान द्वारा न्यूनतम वित्तीय सहायता की सिफारिश करने की शक्ति होगी ;

(ञ) ऐसे फायदाप्रद और सुरक्षित सेक्टरों की पहचान करने, जिनमें निधि में से विनिधान किए जा सकें और तदनुसार उनकी सिफारिशें करने की शक्ति होगी ;

- (ट) किसी आवेदक के उपभोक्ता कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में लगे रहने की अवधि के लिए अपेक्षित शर्तों को शिथिल करने की शक्ति होगी ;
- (ठ) निधि के प्रबंध और प्रशासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने की शक्ति होगी ।
- (7) समिति किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं करेगी, जब तक सदस्य सचिव द्वारा, तदनुसार उसके सारवान् व्यौरों की जांच न कर ली जाए और वह उस पर अपनी सिफारिश न दे दें ।
- (8) समिति निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें करेगी :--
- (क) किसी आवेदक को अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए ;
- (ख) निधि में उपलब्ध धनराशि के विनिधान के लिए ;
- (ग) किसी उपभोक्ता विवाद में किसी परिवादी या परिवादियों के किसी वर्ग द्वारा उपगत विधिक व्ययों की उसके अंतिम न्यायनिर्णयन के पश्चात्, प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान (चयनात्मकता के आधार पर) उपलब्ध करवाने के लिए ;
- (घ) ऐसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जिनकी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए (जो समिति द्वारा समुचित समझा जाए) ;
- (ङ) माल और सेवा कर के प्रचार/उपभोक्ता जागरूकता के लिए, प्रत्येक वर्ष निधि में जमा की पचास प्रतिशत तक धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए, परंतु उपभोक्ता मामले विभाग के उपभोक्ता कल्याण संबंधी क्रियाकलापों के लिए निधियों की उपलब्धता पच्चीस करोड़ रुपए प्रति वर्ष से कम नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, --

- (क) 'अधिनियम' से, यथास्थिति, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) अभिप्रेत है ;
- (ख) 'आवेदक' से निम्नलिखित अभिप्रेत है, --
- (i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार ;
- (ii) संसद् या किसी राज्य के विधान मंडल या संघ राज्यक्षेत्र के किसी अधिनियम के अधीन गठित विनियामक प्राधिकरण या स्वशासी निकाय ;
- (iii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत, कम से कम तीन वर्ष की अवधि से उपभोक्ता कल्याण संबंधित क्रियाकलापों में लगा हुआ कोई अभिकरण या संगठन ;
- (iv) ग्राम या मंडल या समिति या उपभोक्ताओं, विशेषकर स्त्रियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, की समिति स्तर की सहकारी सोसाइटी ;
- (v) संसद् या राज्य विधान मंडल या संघ राज्यक्षेत्र के किसी अधिनियम द्वारा भारत में निगमित ऐसी कोई शैक्षिक या अनुसंधान संस्था या संसद् के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन समझा गया विश्वविद्यालय के रूप में घोषित अन्य ऐसी शैक्षिक संस्थाएं, और जिनमें कम से कम तीन वर्ष से उपभोक्ता संबंधी अध्ययन उसके पाठ्यक्रम के रूप में चल रहा हो ; और
- (vi) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन यथा परिभाषित कोई शिकायतकर्ता, जिसने, उसके द्वारा किसी उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण में संस्थित किसी मामले में उसके द्वारा उपगत विधिक व्ययों की पूर्तिपूर्ति के लिए आवेदन किया है ।

- (ग) 'आवेदन' से आवेदन का ऐसा प्ररूप अभिप्रेत है, जो स्थायी समिति द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ;
- (घ) 'केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्' से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए स्थापित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् अभिप्रेत है ;
- (ङ) 'समिति' से उपनियम (4) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;
- (च) 'उपभोक्ता' का वही अर्थ होगा, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) में उसका है और इसके अंतर्गत ऐसे माल के, जिस पर केंद्रीय कर संदत्त किया गया है, उपभोक्ता भी हैं ;
- (छ) 'शुल्क' से केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन संदत्त शुल्क अभिप्रेत है ;
- (ज) 'निधि' से केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 12 ग की उपधारा (1) और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 57 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित उपभोक्ता कल्याण निधि अभिप्रेत है ;
- (झ) 'उचित अधिकारी' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम के अधीन ऐसा आदेश करने की शक्ति है कि संपूर्ण केंद्रीय कर या उसका कोई भाग प्रतिदेय होगा ;

(iii) प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में, प्रविष्टि 5(ङ) के पश्चात्, "***" के सामने अनुदेश के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"**पूँजी माल का मूल्य, बीजक की तारीख से प्रति मास 1/60वां या उसके भाग को घटाकर आया बीजक मूल्य होगा";

(iv) प्ररूप जीएसटीआर-8 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“प्ररूप जीएसटीआर-10

(नियम 81 देखें)

अंतिम विवरणी

1.	जीएसटीआईएन
2.	विधिक नाम
3.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो
4.	भावी पत्राचार के लिए पता
5.	रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की प्रभावी तारीख (कारबार बंद करने की तारीख या वह तारीख जिससे रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया गया है)
6.	रद्दकरण आदेश की संदर्भ संख्या
7.	रद्दकरण आदेश की तारीख

8. स्टॉक में धारित इनपुट, स्टॉक में धारित अर्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट और पूँजीमाल/संयंत्र और मशीनरी जिस पर कर प्रत्यय आरक्षित किया जाना और सरकार को वापस संदत्त करना अपेक्षित है, के ब्यौरे ।

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	बीजक/प्रवेश पत्र		स्टॉक में धारित इनपुट, स्टॉक में धारित अर्धपरिरूपित या परिरूपित मॉल में अंतर्विष्ट इनपुट और पूंजीमॉल/संयंत्र और मशीनरी का विवरण	यूनिट क्वांटिटी कोड (यूक्यूसी)	मात्रा	मूल्य (नामिनोट/जमापत्र द्वारा यथासमा-योजित)	संदेय इनपुट कर प्रत्यय/कर (जो भी उच्चतर हो) (₹0)			
		सं.	तारीख					केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 (क) स्टॉक में धारित इनपुट (जहां बीजक उपलब्ध हो)											
8 (ख) स्टॉक में धारित अर्धपरिरूपित या परिरूपित मॉल में अंतर्विष्ट इनपुट (जहां बीजक उपलब्ध हो)											
8 (ग) स्टॉक में धारित पूंजीमाल/संयंत्र और मशीनरी											
8 (घ) स्टॉक में धारित इनपुट या स्टॉक में धारित अर्धपरिरूपित या परिरूपित माल में यथाअंतर्विष्ट इनपुट (जहां बीजक उपलब्ध नहीं हैं)											

9. संदेय और संदत्त कर की रकम (सारणी 8 पर आधारित)

क्र.सं.	विवरण	आईटीसी विपर्यय/संदेय कर	रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन के साथ संदत्त कर (जीएसटीआरईजी-16)	संदेय अतिशेष कर (3-4)	इलैक्ट्रानिक नकद बही में विकलन के माध्यम से संदत्त रकम	विकलन के माध्यम से इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में संदत्त रकम			
						केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	केन्द्रीय कर								
2.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर								
3.	एकीकृत कर								
4.	उपकर								

10. संदेय और संदत्त ब्याज, विलंब फीस

विवरण	संदेय रकम	संदत्त रकम
1	2	3
(I) ब्याज		
(क) एकीकृत कर के मद्दे		
(ख) केन्द्रीय कर के मद्दे		
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे		
(घ) उपकर के मद्दे		
(II) विलंब फीस		
(क) केन्द्रीय कर		

(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		
-------------------------------	--	--

11. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम/प्रास्थिति _____

तारीख- दिन/मास/वर्ष

अनुदेश:

- यह प्ररूप ऐसे करदाताओं या ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरा जाना अपेक्षित नहीं है जो निम्नलिखित रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं :-
 - इनुपुट सेवा वितरक;
 - धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति;
 - अनिवासी कराधेय व्यक्ति;
 - ऐसे व्यक्ति जिनसे धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती की अपेक्षा है; और
 - ऐसे व्यक्ति जिनसे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण की अपेक्षा है।
- इनपुट, अर्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट के स्टॉक के और ऐसे पूंजीमाल/संयंत्र और मशीनरी के, जिस पर इनपुट कर प्रत्यय का कर उपभोग किया गया है, स्टॉक के ब्यौरे।
- क्रम सं० 8 में के स्टॉक के ब्यौरे उपलब्ध करवाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है:
 - जहां स्टॉक में धारित इनपुट या अर्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट से संबंधित कर बीजक उपलब्ध नहीं है वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, मॉल की विद्यमान बाजार कीमत पर आधारित नियम 44 के उपनियम (3) के अधीन रकम का प्राक्कलन करेगा ;
 - ऐसे पूंजीमाल/संयंत्र और मशीनरी की दशा में मूल्य पांच वर्ष की उपयोगी अवधि के लिए बीजक/क्रय की तारीख से 1/60 प्रतिमास या उसके भाग को घटाकर आया बीजक मूल्य होगा।
- सारणी के क्रम संख्या 8 (प्रविष्टि 8(घ) के सामने) पर नियम 44 के उपनियम (3) के अनुसार दिए गए ब्यौरे किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित किए जाएंगे। प्रमाणपत्र की प्रति को ब्यौरे फाइल करते समय अपलोड किया जाएगा।";

(v) प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 07 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 07

[नियम 142(5) देखें]

आदेश का सार

- आदेश के ब्यौरे -

(क) आदेश सं.	(ख) आदेश की तारीख	(ग) कर अवधि -
--------------	-------------------	---------------

- अंतर्वलित विवाद्यक--<<नीचे देखें>>

वर्गीकरण, मूल्यांकन, कर की दर, व्यापारावर्त का अधिक्रमण, आईटीसी दावे का आधिक्य, निर्मोचित प्रतिदाय का आधिक्य, प्रदाय का स्थान, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

- मालों/सेवाओं का विवरण --

क्र. सं.	एचएसएन	विवरण

- मांग के ब्यौरे

(रकम रुपयों में)

क्र.सं.	कर की दर	व्यापारावर्त	प्रदाय का स्थान	कार्य	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम”;

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी (भाग)]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 द्वारा अधिसूचना संख्यांक 3/2017-केन्द्रीय कर तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 266(अ), तारीख 23 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 14/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 23 मार्च, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।